रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2017/फाल्गुन 19, 1938
No. 177] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2017/PHALGUNA 19, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2017

सा.का.नि. 232(अ).—वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, (1958 का 44) की धारा 218 की उपधारा (2) और 457 का खण्ड (डी) और (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक कल्याण शुल्क उद्ग्रहण) नियम, 1974 के आगे के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियमों को बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) यह नियम वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक कल्याण शुल्क उद्ग्रहण) (संशोधन) नियम, 2017 कहलाया जाएगा।

(2) यह अधिकारिक राजपत्र में उसकी प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त किया जाएगा ।

2. वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक कल्याण शुल्क उद्ग्रहण) नियम, 1974 का नियम 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा। नामत:—

"4. कल्याण निधि अंशदान.— (1) सभी भारतीय ध्वज पोत मालिक, भारतीय ध्वज वाले विदेश जाने वाले पोतों के लिए उनके द्वारा नियुक्त प्रशिक्षार्थियों के अतिरिक्त सभी मास्टरों और नाविकों के लिए चार हजार आठ सौ रुपए प्रति मास्टर, प्रति नाविक और प्रति वर्ष की दर से उनके कल्याण के संवर्धन के लिए भारतीय ध्वज घरेलू व्यापार पोतों और तटीय पोतों के लिए दो हजार चार सौ रुपए प्रति मास्टर, प्रति नाविक और प्रति वर्ष की दर से नाविक कल्याण निधि सोसाइटी को अंशदान देंगे ।

(2) उप पैरा (1) में संदर्भित अंशदान का भुगतान नाविक कल्याण निधि सोसाइटी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट अथवा ई-भुगतान के माध्यम से नाविक कल्याण निधि सोसाइटी को तिमाही आधार पर किया जाएगा ।"

[फा. सं. एसटी-17011/2/2011-एमए]

एम. एम. हसीजा, सलाहकार

पाद टिप्पणी: मुख्य नियम संख्या सा.का.नि. 807, दिनांक 15 जुलाई,1974 के द्वारा प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् संख्या सा.का.नि. 221(अ), दिनांक 23 मार्च, 1981 और संख्या सा.का.नि. 664(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2004 और सा.का.नि. 654, दिनांक 30.8.2011 और सा.का.नि. 720, दिनांक 18.09.2015 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2017

G.S.R. 232(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 218 and section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Merchant Shipping (Levy of Seamen's Welfare Fee) Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Levy of Seamen's Welfare Fee) (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Merchant Shipping (Levy of Seamen's Welfare Fee) Rules, 1974, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

"4. Welfare Fund contributions.— (1) All Indian flag ship owners shall pay the welfare fund contributions for all masters and seamen, other than the trainees, engaged by them, to the Seafarers' Welfare Fund Society, at the rate of rupees four thousand and eight hundred, per master, per seaman and per annum, for Indian flag foreign going ships, and rupees two thousand and four hundred, per master, per seaman and per annum, for Indian flag home trade ships and also coasting ships, for the purposes of promoting their welfare .

(2) The contributions referred to in sub-rule (1) shall be paid on a quarterly basis to the Seafarers' Welfare Fund Society by way of demand draft drawn or by E-payment in favour of the Seafarer's Welfare Fund Society."

[F. No. ST-17011/2/2011-MA]

M.M. HASIJA, Adviser

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraodinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 807, dated the 15th July, 1974 and subsequently amended vide number G.S.R. 221(E), dated the 23rd March, 1981, number G.S.R. 664(E), dated the 8th October, 2004 and number G.S.R. 654, dated 30.08.2011 and number G.S.R. 720, dated 18.09.2015..

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.03.14 10:42:52 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.